सं.36020/2/2007-स्थापना (आर.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर, 2009.

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: वीआरक्षण प्रस्तावों को भेजने के लिए प्रपत्र का परिशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 2.11.1979 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36011/20/79-स्था.(एस.सी.टी.), जिसके द्वारा आरक्षित रिक्तियों के वीआरक्षण हेतु प्रस्तावों को भेजने के लिए प्रपत्र निर्धारित किए थे, की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोगों का सृजन, रिक्ति आधारित रोस्टरों का पद आधारित रोस्टरों द्वारा प्रतिस्थापन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मध्य आरक्षण के विनिमय पर रोक जैसी अनेक बातों के कारण उक्त प्रपत्र में संशोधन आवश्यक हो गया है ।

2. सीधी भर्ती के मामले में आरक्षित रिक्तियों के वीआरक्षण पर सामान्यत: रोक है । फिर भी, असाधारण और विशिष्ट मामलों में जब समूह 'क' सेवा में किसी रिक्ति को लोक हित में रिक्त रखना अनुमत नहीं किया जा सके तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वह रिक्ति के वीआरक्षण का एक प्रस्ताव तैयार करे जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हों:

(i) पद का नाम;
(ii) पद का वेतनमान;
(iii) सेवा का नाम जिससे पद संबंधित है;
(iv) पद से संबद्ध कर्तव्य और उत्तरदायित्व;
(v) पद के लिए निर्धारित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं;
(vi) पद को भरे जाने के लिए किए गए प्रयास;
(vii) इन्हें रिक्त रखना क्यों अनुमत्त नहीं किया जा सकता संबंधी कारण;
(viii) वीआरक्षण का औचित्य; और
(ix) कोई अन्य संगत सूचना ।

3. उक्त प्रस्ताव पर प्रशासनिक मंत्रालय अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्ति के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्ति के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछडे वर्ग के लिए आरक्षित रिक्ति के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करेगा । संबद्ध आयोग की राय प्राप्त कर लेने के पश्चात् प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग आयोग की सिफ़ारिश के साथ प्रस्ताव को विचारण और सिफारिश के

लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तथा मंत्रालय/विभाग जिसके अधीन भर्ती की जानी है, के सचिवों की एक समिति के समक्ष रखेगा । समिति की सिफारिश अंतिम निर्णय लेने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी जाएगी । यदि रिक्ति का वीआरक्षण अनुमोदित होता है तो इसे एक अनारक्षित रिक्ति के रूप में भरा जा सकता है ।

4. <u>पदोन्नति के मामले में,</u> यदि आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु सही पाए गए अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो ऐसी रिक्तियों को वीआरक्षित किया जा सकता है और इन्हें अन्य समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है । ऐसे मामलों में आरक्षित रिक्तियों के वीआरक्षण को अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को दी गई है:

(i) विनिर्दिष्ट संगत सेवा/भर्ती नियमों/आदेशों में संभरक संवर्ग (संवर्गों) में पदोन्नति हेतु पात्र अथवा विचारण क्षेत्र अथवा विस्तारित विचारण क्षेत्र के भीतर आरक्षित रिक्ति की श्रेणी का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है;

(ii) वीआरक्षण का प्रस्ताव मंत्रालय/विभाग के संपर्क अधिकारी द्वारा देखा गया है और उसने इसके लिए सहमति दी है;

(iii) संबद्ध मंत्रालय/विभाग में, भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर से वीआरक्षण के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है; और

(iv) नियुक्ति प्राधिकारी और संपर्क अधिकारी के मध्य असहमति की दशा में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सलाह ली गई है।

5. सौंपी गई शक्तियों के अधीन किसी रिक्ति को वीआरक्षित करने का निर्णय लेने से पूर्व, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, अनुबंध में दिए गए प्रपत्र में एक प्रस्ताव तैयार करेगा और उसकी एक प्रति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को और एक प्रति अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजेगा । इस प्रस्ताव को भेजने के पश्चात् सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और संबंधित राष्ट्रीय आयोग की राय का कम से कम दो सप्ताह प्रतीक्षा करेगा । यदि दो सप्ताह के भीतर इस विभाग अथवा संबंधित आयोग से कोई राय प्राप्त नहीं होती है तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यह माने कि इस विभाग अथवा संबंधित राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, के पास देने के लिए कोई राय नहीं है और वह रिक्ति के वीआरक्षण संबंधी निर्णय ले सकता है । यदि मंत्रालय/विभाग को दो सप्ताह के भीतर इस विभाग अथवा संबंधित आयोग से टिप्पणी प्राप्त होती है तो वह निर्णय लेते समय ऐसी टिप्पणियों को ध्यान में रखेगा ।

6. आयोगों/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए:

(i) आरक्षण के संदर्भ में 'संवर्ग संख्या' का अर्थ है ग्रेड में पदों की वह संख्या जो भर्ती नियमों के अनुसार एक विशिष्ट भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरी जानी है । यदि 200 पदों के

किसी ग्रेड में, 40 प्रतिशत पद चयन द्वारा पदोन्नति से भरे जाते हैं तो ग्रेड में चयन द्वारा पदोन्नति के संदर्भ में संवर्ग संख्या 80 होगी;

(ii) 'बकाया आरक्षित रिक्ति' का अर्थ ऐसी रिक्ति से है जो किसी पूर्व भर्ती वर्ष में आरक्षित उद्दिष्ट थी और इसे भरने का प्रयास किया गया किन्तु इसे भरा नहीं जा सका और यह अभी तक रिक्त है; और

(iii) यथोचित भरा हुआ प्रस्ताव/प्रपत्र प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

7. संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों इत्यादि को वीआरक्षण का प्रस्ताव सीधे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अथवा संबंधित राष्ट्रीय आयोग को नहीं भेजना चाहिए । वे इस प्रस्ताव को सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को भेजें जो इस प्रस्ताव की जांच करेगा और इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को और संबंधित राष्ट्रीय आयोग को भेजेगा ।

8. सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में ला दें ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष सं.: 23092158

सेवा में,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
(ii) वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
(iii) वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।
(iv) लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
(v) रेलवे बोर्ड ।
(vi) संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/चुनाव आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
(vii) कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
(viii) मुख्य अशक्तता आयुक्त का कार्यालय, सरोजिनी हाऊस, 6 भगवान दास रोड, नई दिल्ली - 110001.
(ix) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
(x) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग तथा इस मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
(xi) सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

अनुबंध

संदर्भ संख्या

मंत्रालय/विभाग का नाम

दिनांक .....

<u>पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने हेतु प्रस्ताव</u>

1. कार्यालय/संगठन का नाम जिससे पद सम्बन्धित है	
2. पद का ब्यौरा जिसमें रिक्तियों को अनारक्षित करना प्रस्तावित है (क) पद का नाम (ख) समूह (वर्ग) (ग) वेतनमान	
3. पदोन्नति कोटा में पदों के बारे में जानकारी: (क)पदोन्नति का तरीका जैसे: चयन अथवा गैर-चयन अथवा विभागीय परीक्षा इत्यादि द्वारा (ख)पदोन्नति के दिए गए तरीके द्वारा पहले से ही भरे गए पदों की संख्या (ग)पदोन्नति के दिए गए तरीके के सम्बन्ध में बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की संख्या (घ)पदोन्नति के दिए गए तरीके द्वारा भरी जाने वाली वर्तमान रिक्तियों की संख्या (ङ)पदोन्नति के दिए गए तरीके द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या (वर्तमान	अनुसूचित जाति .... अनुसूचित जनजाति .... कुल .....

रिक्तियां+बैकलॉग रिक्तियां) (च) पदोन्नति के दिए गए तरीके में पदों की कुल संख्या (ख+ड.)	
4. संवर्ग में आरक्षण द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा पहले से ही धारित पदों की संख्या	अनुसूचित जाति .... अनुसूचित जनजाति
5. यदि संवर्ग संख्या 14 से कम है और आरक्षण चक्रण द्वारा दिया जाता है तो उस रोस्टर की चक्र संख्या और बिन्दु संख्या जिसमें रिक्ति आती है:	चक्र सं..... बिन्दु सं. .....
6.चिह्नित आरक्षित रिक्तियों की संख्या (क) वर्तमान रिक्तियों में से (ख) बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां (ग) कुल आरक्षित रिक्तियां (क+ख)	 अ.जा. ..... अ.ज.जा. ..... अ.जा. ..... अ.ज.जा. ..... अ.जा. ..... अ.ज.जा. .....
7. अनारक्षण हेतु प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या	अ.जा. ..... अ.ज.जा. .....
8. यदि पदोन्नति गैर-चयन द्वारा है (क) क्या अजा/अजजा अभ्यर्थी, जो पदोन्नति के पात्र हैं (सामान्य वरिष्ठता सूची में निम्नतर पदधारण करने वाले अभ्यर्थियों सहित) की पदोन्नति पर विचार किया गया: (ख) फीडर ग्रेड में अजा/अजजा अभ्यर्थियों की कुल संख्या (ग) फीडर ग्रेड में पात्र अजा/अजजा अभ्यर्थियों की संख्या (घ) पदोन्नति हेतु योग्य पाए गए अनुसूचित जाति/अजजा अभ्यर्थियों	 अ.जा. ..... अ.ज.जा. ..... अ.जा. ..... अ.ज.जा. ..... अ.जा. ..... अ.ज.जा. .....

की संख्या (ड.) पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाए गए अनुसूचित जाति/अजजा अभ्यर्थियों की संख्या	अ.जा. ..... अ.ज.जा. .....
(च) यदि निर्णायक तारीख को पर्याप्त संख्या में अजा/अजजा अभ्यर्थी पदोन्नति हेतु पात्र नहीं हैं, तो वह तारीख जब ग्रेड का वरिष्ठतम अजा/अजजा अभ्यर्थी पदोन्नति हेतु पात्र हो जाएगा	अ.जा. ..... अ.ज.जा. .....
9. <u>यदि पदोन्नति चयन द्वारा है</u> (क) सामान्य विचारण क्षेत्र का आकार: (ख) अजा/अजजा हेतु विस्तारित विचारण क्षेत्र का आकार (रिक्तियों की कुल संख्या का 5 गुना)	
(ग) विस्तारित विचारण क्षेत्र में पात्र अनुसूचित जाति/अजजा अभ्यर्थियों की संख्या:	अ.जा. ..... अ.ज.जा. .....
(घ) पदोन्नति हेतु योग्य पाए गए अजा/अजजा अभ्यर्थियों की संख्या	अ.जा. ..... अ.ज.जा. .....
(ड.) पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाए गए अजा/अजजा अभ्यर्थियों की संख्या	अ.जा. ..... अ.ज.जा. .....
(च) यदि निर्णायक तारीख को पर्याप्त संख्या में अजा/अजजा अभ्यर्थी पदोन्नति हेतु पात्र नहीं हैं, तो वह तारीख जब वरिष्ठतम अजा/अजजा अभ्यर्थी वरिष्ठता सूची में पदोन्नति हेतु पात्र हो जाएगा और	अ.जा. ..... अ.ज.जा. .....

वरिष्ठता सूची में उसका स्थान	
10. यदि पदोन्नति विभागीय अर्हता अथवा विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा है तो उन अजा/अजजा अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है	अ.जा. ..... अ.ज.जा. .....
11. क्या अनारक्षित की जाने वाली रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध हैं	
12. (क) क्या अयोग्य पाए गए अजा/अजजा अभ्यर्थियों की डीपीसी द्वारा विचारित गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) में कोई प्रतिकूल टिप्पणी थी (ख) यदि हां, तो क्या ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अजा/अजजा अधिकारी को सूचित किया गया था (ग) क्या पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाए गए पात्र अजा/अजजा अभ्यर्थियों के मामले मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री/सचिव/विभागाध्यक्ष जो भी मामला हो, को प्रस्तुत किए गए थे	
13. जहां साक्षात्कार निर्धारित हैं, क्या अजा/अजजा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उस दिन अथवा पाली को छोड़कर लिया गया जिस दिन अथवा पाली को सामान्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया	
14. (क) यदि रिक्तियों के अनारक्षण के सम्बन्ध में कार्योत्तर अनुमोदन मांगा गया है, तो पहले अनारक्षण हेतु प्रस्ताव नहीं किए जाने के कारण और इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए	

उठाए गए कदम (ख) वह स्तर जिस पर आरक्षित रिक्तियों को बिना पूर्व अनारक्षण के अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरने का निर्णय लिया गया:	

प्रमाणित किया जाता है

(1) कि अनारक्षण हेतु प्रस्ताव को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर पर सहमति मिल गई है ।

(2) कि प्रस्ताव को मंत्रालय/विभाग के सम्पर्क अधिकारी द्वारा देख लिया गया है और उसके द्वारा इसको सहमति दे दी गई है ।

(3) इस प्रस्ताव की प्रतियां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को साथ-साथ भेजी जा रही हैं ।

हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर अधिकारी का नाम .....

पदनाम .....

दूरभाष सं. .....

सेवा में,

(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ।